

रजि० नं० एल. डब्लू. / एन. पी. 890 लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०-41 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग-1, खण्ड (क) (उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 6 दिसम्बर, 2004 अग्रहायण 15, 1926 शक सम्वत्

> · उत्तर प्रदेश सरकार विधायी अनुभाग–1

संख्या 1571 / सात-वि-1—1(क) 33-2004 लखनऊ, 6 दिसम्बर, 2004

> अधिसूचना ———— विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् विधेयक, 2004 पर दिनांक 3 दिसम्बर, 2004 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2004 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:—

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2004 [उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2004] (जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

राज्य में मदरसा शिक्षां परिषद् की स्थापना और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2004 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 3 सितम्बर, 2004 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

परिभाषायें

- 2-इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
- (क) ''परिषद्'' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से है;
- (ख) ''केन्द्र'' का तात्पर्य परिषद द्वारा अपनी परीक्षायें आयोजित करने के लिये नियत की गई संस्था या स्थान से है और इसमें उससे सम्बद्ध समस्त परिसर आदि भी सम्मिलित है;
- (ग) ''निदेशक'' का तात्पर्य निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश से है;
- (घ) किसी संस्था के सम्बन्ध में ''संस्था के प्रधान'' का तात्पर्य उस संस्था के, यथास्थिति, प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक से हैं;
- (ङ) ''निरीक्षक'' का तात्पर्य निरीक्षक, अरबी फारसी मदरसा, उत्तर प्रदेश से है और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन निरीक्षक के सभी या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी भी है;
- (च) ''संस्था'' का तात्पर्य राजकीय ओरियन्टल कालेज, रामपुर से है और इसके अन्तर्गत मुस्लिम अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित और मदरसा शिक्षा प्रदान करने के लिये बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त कोई मदरसा या ओरियन्टल कालेज भी है;
- (छ) ''विधायक'' का तात्पर्य राज्य विधान मण्डल के क़िसी सदन के किसी सदस्य से हैं:
- (ज) ''मदरसा शिक्षा'' का तात्पर्य अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामिक अध्ययन, तिब, तर्कशास्त्र, दर्शनशास्त्र की शिक्षा से है और इसके अन्तर्गत विद्या की ऐसी अन्य शाखायें भी हैं जिन्हें समय-समय पर परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय;
- (झ) ''अन्तरीक्षक'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो किसी केन्द्र पर परीक्षाओं के संचालन और पर्यवेक्षण में केन्द्र के अधीक्षक की सहायता करें;
- ্র) ''मान्यता'' का तात्पर्य परिषद की परीक्षाओं में बैठने के लिये अभ्यर्थियों को तैयार करने के प्रयोजन के निमित्त प्रदान की गई मान्यता से है;
- (ट) ''उपनिदेशक'' का तात्पर्य मदरसा शिक्षा के कार्य से प्रभारित उपनिदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश से है;
- (ठ) ''विनियम'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों से है;
 - (ड) ''रिजस्ट्रार'' का तात्पर्य परिषद के रिजस्ट्रार से है;
- (ढ) ''केन्द्र अधीक्षक'' का तात्पर्य परिषद की परीक्षाओं के संचालन और पर्यवेक्षण के लिये परिषद द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति से है और इसमें अपर अधीक्षक भी सम्मिलित है;
- (ण) किसी परीक्षार्थी के सम्बन्ध में, जब कि किसी परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा हो, ''अनुचित साधन'' का तात्पर्य अप्राधिकृत रूप से किसी व्यक्ति की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता से या किसी रूप में लिखित, अभिलिखित, प्रतिलिपिकृत या मुद्रित किसी सामग्री की सहायता से, या किसी टेलीफोन, वायरलेस या इलेक्ट्रानिक या अन्य यन्त्र या जुगत के अप्राधिकृत प्रयोग से है।

परिषद का गठन

- 3-(1) ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, लखनऊ में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् के नाम से एक परिषद् की स्थापना की जायेगी।
 - (2) परिषद् एक निगमित निकाय होगी।
 - (3) परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात :-
 - (क) परम्परागत मदरसा शिक्षा के क्षेत्र का एक प्रख्यात मुस्लिम शिक्षाविद, जिसे राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा और जो परिषद् का अध्यक्ष होगा;
 - (ख) निदेशक, जो परिषद् का उपाध्यक्ष होगा;
 - (ग) प्रधानाचार्य, राजकीय ओरियन्टल कालेज, रामपुर;
 - (घ) एक सुन्नी मुस्लिम सदस्य, जिसे राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित किया जायेगा;
 - (ङ) एक शिया मुस्लिम सदस्य, जिसे राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित किया जायेगा;
 - (च) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् का एक प्रतिनिधि;
 - (छ) सुन्नी मुस्लिम द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्था का एक प्रधान, जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट होगा;
 - (ज) शिया मुस्लिम द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्था का एक प्रधान, जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट होगा;
 - (झ) सुन्नी मुस्लिम द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्थाओं के दो अध्यापक, जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट होगा;
 - (ञ) शिया मुस्लिम द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्थाओं का एक अध्यापक, जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट होगा;
 - (ट) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट संस्था का एक विज्ञान या तिब अध्यापक;
 - (ठ) अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश का लेखा एवं वित्त अधिकारी;
 - (ड) निरीक्षक;
 - (ढ) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट उपनिदेशक की पंक्ति से अनिम्न एक अधिकारी: जो सदस्य रजिस्ट्रार होगा।
 - (4) परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन और नाम निर्देशन पूरा हो जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार यह अधिसूचित करेगी कि परिषद् का सम्यक् रूप से गठन कर दिया गया है:

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (3) के खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) में विनिर्दिष्ट सदस्यों के निर्वाचन के पूर्व भी इस उपधारा के अधीन अधिसूचना जारी की जा सकती है।

(5) (क) जहाँ राज्य विधान मण्डल में मात्र एक शिया सदस्य या मात्र एक सुन्नी सदस्य हो तो प्रत्येक का नाम-निर्देशन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

- (ख) यदि राज्य विधान मण्डल में कोई शिया सदस्य उपलब्ध न हो तो दो सुन्नी मुस्लिम विधायकों को परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया जाएगा और ऐसे विधायकों में से एक विधायक के नाम-निर्देशन पत्र में यह उल्लिखित किया जाएगा कि वह उस दिनांक से परिषद् के सदस्य का पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा जिस दिनांक से कोई शिया मुस्लिम विधायक परिषद् के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण कर लेगा। इसी प्रकार सुन्नी मुस्लिम विधायकों के अनुपलब्धता की स्थिति में दो शिया मुस्लिम विधायकों को परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया जाएगा और ऐसे शिया विधायकों में से एक विधायक के नाम निर्देशन पत्र में यह उल्लिखित किया जायगा कि वह किसी सुन्नी मुस्लिम विधायक द्वारा परिषद् के सदस्य के पद का शपथ किये जाने के दिनांक से परिषद् के सदस्य का पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा।
- (6) उपधारा (1) के अधीन परिषद् की स्थापना के दिनांक को और से, ऐसे स्थापन के ठीक पूर्व कार्य कर रहे, अरबी और फारसी शिक्षा बोर्ड, एतद्पश्चात, जिसे पूर्व में बोर्ड कहा गया है, विघटित हो जाएग और ऐसे विघटन पर,—
- (क) पूर्व परिषद् की सभी सम्पत्तियाँ और परिसम्पत्तियाँ परिषद् को अन्तरित और उनमें निहित हो जायेगी;
- (ख) पूर्व परिषद् के सभी ऋण, दायित्व और बाध्यताएं चाहे संविदात्मक हो या अन्यथा हो, परिषद् को अन्तरित हो जाएगी;
- (ग) पूर्व परिषद् के सभी अधिकारी और कर्मचारी उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर और सेवानिवृत्त लाभों और अन्य विषयों के सम्बन्ध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ जो ऐसे विघटन के ठीक पूर्व उन पर प्रयोज्य होते, परिषद् के अधिकारी और कर्मचारी हो जाएंगें, जब तक परिषद् के अधीन उनका नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त न कर दिया जाय या जब तक उनके पारिश्रमिक और सेवा की शर्तों में सम्यक् रूप से ऐसा परिवर्तन न कर दिया जाय जो उनके लिये अलाभकर न हो:

प्रतिबन्ध यह है कि पूर्व परिषद् का कोई अधिकारी या कर्मचारी, ऐसे विघटन से तीस दिन की अवधि के भीतर तामील की गई, बोर्ड को सम्बोधित, नोटिस देकर परिषद् का अधिकारी या कर्मचारी न बनने के अपने विकल्प की सूचना दे सकता है और ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, उस समय तक उसके द्वारा धृत पद समाप्त हो जाएगा और उसकी सेवायें समाप्त हो जायेंगी और उसे प्रतिकर के रूप में उसके तीन मास के वेतन के समतुल्य धनराशि का भुगतान किया जाएगा।

सदस्यों का हटाया जाना 4-राज्य सरकार परिषद् से, पदेन सदस्य से भिन्न, किसी भी ऐसे सदस्य को हटा सकती है जिसने उसके मतानुसार ऐसे सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसा घोर दुरूपयोग किया हो कि जिससे परिषद् के सदस्य के रूप में उसका बना रहना जनहित के लिये हानिकर हो:

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी सदस्य को उपरोक्त प्रकार से हटाने के पूर्व उसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर देगी और उसे हटाये जाने के कारणों को अभिलिखित करेगी।

सदस्यों की पदावधि

5—(1) पदेन सदस्यों के अतिरिक्त किसी सदस्य की पदावधि धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन अधिसूचना के दिनांक से तीन वर्ष होगी :

प्रतिबन्ध यह है धारा 3 की उपधारा (5) के खण्ड (ख) की दशा में, यह उपधारा लागू नहीं होगी और अवधि का निर्धारण उक्त खण्ड के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे समस्त सदस्यों के पद की अवधि एक बार में छः मास से अधिक समय के लिये इस प्रकार बढ़ा सकती है कि जिससे इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक न हो।

6--राज्य सरकार धारा 5 के अधीन सदस्यों की पदावधि की समाप्ति के पूर्व परिषद् के पुनर्गठन के लिये कार्यवाही करेगा।

- 7—(1) परिषद् की बैंठक ऐसे समय और स्थान पर होगी और उपधारा (2) और (3) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए वह अपनी बैठकों में कार्य संपादन करने के लिये जिसके अन्तर्गत बैठकों की गणपूर्ति भी है, ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी जिनकी व्यवस्था इस निमित्त बनायी गयी उपविधियों द्वारा की जाए।
- (2) अध्यक्ष परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेगा। उसकी अनुपस्थित में परिषद् का उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा। जब अध्यक्ष / उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों, तो खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) के अधीन निर्वाचित कोई ज्येष्ठ सदस्य अध्यक्ष होगा और वह बैठक की अध्यक्षता करेगा।
- (3) परिषद् की बैठक में उठने वाले समस्त प्रश्नों का निर्णय उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मतों के बराबर होने की दशा में उक्त बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को एक दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।
- 8—परिषद् या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही परिषद् या समिति में केवल किसी रिक्ति के विद्यमान होने या उसके गठन में कोई त्रुटि होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

9—इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिषद् की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात :--

- (क) तहतानियां, फौकानियां, मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल, फाजिल और अन्य पाठ्यक्रमों के लिये शिक्षण पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक, अन्य पुस्तकें और शिक्षण सामग्री, यदि कोई हो, विनियम द्वारा विहित करना;
- (ख) अरबी-फारसी मदरसों में हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट स्तर के कक्षाओं के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा उनके लिये अवधारित पाठ्यक्रम के अनुसार अरबी, उर्दू और फारसी के पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तकें, अन्य पुस्तकें और शिक्षण सामग्री विनियम द्वारा विहित करना;
- (ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट पाठ्य पुस्तकों, अन्य पुस्तकों और शिक्षण सामग्री की, उनमें से सामग्री का पूर्णतः या अंशतः या अन्यथा अपवर्जन करके, पाण्डुलिपि तैयार करना और उन्हें प्रकाशित करना;
- (घ) राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में उर्दू अनुवादकों की नियुक्ति के लिये मानक विहित करना और नियुक्ति प्राधिकारी के माध्यम से रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना:
- (ङ) ऐसे व्यक्तियों को उपाधियां, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र या अन्य विद्या सम्बन्धी सम्मान प्रदान करना, जिन्होंने—
 - (एक) ऐसी संस्था में किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो जिसे परिषद् द्वारा विशेषाधिकार या मान्यता प्रदान की गयी हो;
 - (दो) विनियमों में निर्धारित की गयी शर्तों के अधीन व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया और उन्हीं शर्तों के अधीन परिषद् की कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो;
- (च) मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल और फाजिल पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं का संचालन करना;

पदावधि की समाप्ति पर रिक्तियों का भरा जाना परिषद की बैठक

रिक्तियों आदि के कारण कार्य और कार्यवाहियां अविधि-मान्य न होगी

परिषद का कृत्य

- (छ) अपनी परीक्षाओं के प्रयोजन के लिये संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना;
- (ज) अपनी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को प्रवेश देना;
- (झ) ऐसा शुक्क मांगना और प्राप्त करना जो विनियमों में विहित किया जाय;
- (স) अपनी परीक्षाओं के परिणाम का पूर्णतः या अंशतः प्रकाशन करना या रोकना;
- (ट) अन्य प्राधिकारियों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये सहयोग करना जो परिषद् अवधारित करें;
- ं (ठ) मान्यता प्राप्त संस्थाओं या मान्यता के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं की स्थिति के बारे में निदेशक से रिपोर्ट मांगना;
- (ङ) ऐसे किसी विषय के सम्बन्ध में राज्य सरकार को अपने विचार भेजना जिससे वह सम्बन्धित हो;
- (ढ) बजट में सम्मिलित किये जाने के लिए प्रस्तावित ऐसी संस्थाओं से सम्बन्धित नई मांगों की अनुसूचियों को देखना, जिन्हें उसने मान्यता प्रदान की हो और यदि वह उचित समझे तो उन पर अभिव्यक्त अपने विचारों को राज्य सरकार के विचारार्थ मेजना;
- (ण) ऐसे अन्य समस्त कार्यों और बातों को करना जो फाजिल तक की मदरसा शिक्षा के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए एक निकाय के रूप में गठित किये गये परिषद् के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये अपेक्षित हो;
- (त) मदरसा शिक्षा की किसी शाखा अर्थात दारूल उलूम, नव उलूम, लखनऊ, मदरसा बाबुल इल्म, मुबारकपुर, आजमगढ़, दारूल उलूम, देवबन्द, सहारनपुर, ओरियण्टल कालेज, रामपुर या ऐसी किसी अन्य संस्था में जिसे राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे, अनुसंधान या प्रशिक्षण की व्यवस्था करना;
- (थ) तहतानियां या फौकानियां स्तर तक शिक्षा के लिए जिला स्तर पर कम से कम तीन सदस्यों से बनी एक समिति का गठन करना और ऐसी समिति को अपने नियंत्रणाधीन शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने की शक्ति प्रत्यायोजित करना,

(द) ऐसी सभी कार्यवाई करना जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किसी शक्ति के प्रयोग या किसी कृत्य का निर्वहन या कर्तव्य का पालन करने के लिए आवश्यक या सुविधाजनक या आनुषंगिक हो।

परिषद् की शक्तियां

- 10-(1) परिषद् को इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए वे सभी शक्तियां होंगी जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन तथा कर्तव्यों के पालन के लिये आवश्यक हों।
- (2) विशिष्टतया तथा पूर्वाक्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिषद् के निम्नलिखित अधिकार होंगे :—
 - (एक) किसी ऐसे अभ्यर्थी की परीक्षा को रदद करना या उसके परीक्षाफल को रोक लेना या उसे किसी भावी परीक्षा में बैठने से वर्जित कर देना जिसे,
 - (क) परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने, या
 - (ख) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए प्रार्थना-पत्र में कोई असत्य विवरण देने या महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य छिपाने का. या
 - (ग) परीक्षा में कपट करने अथवा प्रतिरूपण का, या
 - (घ) ऐसी परीक्षा में प्रवेश के नियमों का उल्लंघन करके परीक्षा में प्रवेश पाने का, या
 - (ङ) परीक्षा के दौरान किसी घोर अनुशासनहीनता का दोषी पाया गया हो।

- (दो) खण्ड (एक) के उपखण्ड (क) से (घ) तक में उल्लिखित सभी या किन्हीं कृत्यों के लिए या परीक्षाफल की घोषणा में परिषद् की किसी सद्भावनापूर्ण भूल के कारण किसी अथ्यर्थी का परीक्षाफल रदद करना,
- (तीन) अपने द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिए शुल्क नियंत करना और उसकी वसूल करने की रीति विहित करना,
 - (चार) किसी ऐसी संस्था को मान्यता देने से इंकार करना जो-
 - (क) कर्मचारीवर्ग, शिक्षण, उपस्कर या इमारत के लिए परिषद् द्वारा इस निमित्त निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं करती या उन्हें पूरा करने की स्थिति में नहीं है अथवा उन तक नहीं पहुंचती है, या
 - (ख) परिषद् द्वारा इस निमित्त निर्धारित मान्यता की शर्तों का पालन नहीं करती या उनका पालन करना नहीं चाहती,
 - (पांच) ऐसी संस्था की मान्यता वापस लेना जो कर्मचारीवर्ग, शिक्षण, उपस्कर या इमारत के लिए परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं कर सकती या उनके अनुसार व्यवस्था नहीं कर सकती या जो परिषद् के संतोषानुसार मान्यता की शर्तों का पालन नहीं करती,
 - (छः) परिषद् के नियमों या विनियमों या विनिश्चयों, अनुदेशों या निदेशों के किसी उल्लंघन के सम्बन्ध में संस्थाओं के प्रधानों से प्रतिवेदन मांगना और परिषद् के नियमों और विनियमों या विनिश्चय, अनुदेशों या निदेशों को प्रवृत्त करने के लिए ऐसी रीति से उचित कार्यवाही करना जो विनियमों द्वारा विहित की जाय,
 - (सात) यह सुनिश्चित करने के लिए संस्था का निरीक्षण करना कि नियत पाठ्यक्रमों का यथोचित रूप से अनुसरण किया जाए और शिक्षण की सुविधाओं की यथोचित व्यवस्था की जाय तथा उनका यथोचित उपयोग हो, और
 - (आठ) उन विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या निश्चित करना, जो किसी संस्था में पाठ्यक्रमों के लिए भर्ती किये जा सके।
- (3) उपधारा (1) और (2) में उल्लिखित समस्त मामलों में परिषद् का विनिश्चय अन्तिम होगा।

11-धारा 10 की उपधारा (2) के खण्ड (चार) के उपखण्ड (क) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए परिषद, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी उच्च कक्षा के लिए किसी नये विषय या विषय समृह में किसी संस्था को मान्यता प्रदान कर सकती है।

12-जहां किसी संस्था द्वारा अंशदान या दान, चाहे वह नकद हो या वस्तु के रूप में, लिया या प्राप्त किया जाता है, वहां इस प्रकार प्राप्त अंशदान या दान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए वह संस्था को दिया गया हो और राज्य सरकार द्वारा उसी रूप से अनुरक्षित संस्था की दशा में नकद, अंशदान या दान उस संस्था के वैयक्तिक लेजर खाते में जमा किया जायेगा जिसका संचालन राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

13—(1) राज्य सरकार को परिषद् द्वारा संचालित अथवा किये गये किसी कार्य के सम्बन्ध में परिषद् को सम्बोधित करने तथा किसी भी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जिससे परिषद् सम्बन्धित हो, परिषद् को अपने विचार सूचित करने का अधिकार होगा।

(2) परिषद्, राज्य सरकार को उसके पत्र व्यवहार पर प्रस्तावित की गई अथवा की जाने वाली ऐसी कार्यवाही, यदि कोई हो, को सूचित करेगी।

किसी नये विषय में या उच्च कक्षा के लिये किसी संस्था को मान्यता दान का उचित उपयोग

राज्य सरकार की शक्ति

- (3) यदि परिषद्, युक्ति-युक्त समय के भीतर राज्य सकार के समाधान के निमित्त कार्यवाही न करे तो निर्धारित अवधि में परिषद् द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी स्पष्टीकरण या उसके द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार इस अधिनियम से संगत ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो वह उचित समझे और परिषद् ऐसे निर्देशों का पालन करेगी।
- (4) जब कभी राज्य सरकार की राय में तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक या समीचीन हो, तो वह परिषद् को पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन कोई निर्देश दिये बिना इस अधिनियम से संगत ऐसा आदेश दे सकती है या ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे और विशिष्टता ऐसे आदेश द्वारा किसी विषय से सम्बन्धित किसी विनियम का परिष्कार, विखंडन या रचना कर सकती है और तद्नुसार परिषद् को तत्काल सूचना देगी।
- (5) उपधारा (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

परिषद् के अधिकारी और अन्य कर्मचारी 14—इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक सम्पादन करने के योग्य बनाने के प्रयोजनार्थ परिषद्, उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जिन्हें राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से वह उचित समझे, नियुक्त कर सकती है।

परिषद् के अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तय्य

- 15—(1) परिषद् के अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह यह अवलोकित करना सुनिश्चित करें कि इस अधिनियम का और विनियमों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाता है और उसे तत्प्रयोजनार्थ आवश्यक समस्त अधिकार प्राप्त होंगे।
- (2) परिषद् का अध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विनियम द्वारा विहित की जाए।

रजिस्ट्रार की शक्तियां और कर्तव्य 16—परिषद् का रिजस्ट्रार, परिषद् का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और परिषद् के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशों के अधीन रहते हुए उसके विनिश्चयों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा। वह ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो विनियम द्वारा विहित किये जाएँ और विशेषतया, वह—

- (क) वार्षिक प्राक्कलन और लेखा विवरण तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा,
- (ख) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि समस्त धनराशियां उन्हीं प्रयोजनों के लिए व्यय की जाय जिनके लिए वे स्वीकृत या प्रदिष्ट की गई हो,
 - (ग) परिषद् की बैठकों के कार्यवृत्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा,
- (घ) परीक्षाओं के संचालन के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो आवश्यक हो,
- (ङ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विनियम द्वारा विहित की जाये। 17—(1) परिषद् निम्नलिखित समितियों को नियुक्त करेगी, अर्थात्—

समितियों और उप समितियों की नियुक्ति और गठन

- (क) पाठ्यक्रम समिति,
- (ख) परीक्षा समिति,
- (ग) परीक्षाफल समिति,
- (घ) मान्यता समिति, और
- (ङ) वित्त समिति

- (2) ऐसी समिति में केवल परिषद् के सदस्य ही सम्मिलित होंगे और इनका गठन इस प्रकार होगा कि प्रत्येक समिति में यथासंभव निम्नलिखित वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के एक सदस्य को प्रतिनिधित्व दिया जा सके,
 - (क) संस्थाओं का प्रधान,
 - (ख) संस्थाओं के अध्यापक,
 - '(ग) शिक्षाविद :

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् का कोई सदस्य इन समितियों में से एक से अधिक समिति का सदस्य नहीं होगा और समिति के सदस्यों के कार्यकाल परिषद् की सदस्यता की समाप्ति के साथ समाप्त हो जायेगा।

- (3) उपधारा (1) में उल्लिखित समितियों के अतिरिक्त परिषद् ऐसी अन्य समितियां या उपसमितियां, जो विनियम द्वारा विहित की जाय, नियुक्त कर सकती है।
- (4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त समितियों और उपसमितियों का गठन ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धन और शर्तों पर होगा, जो विनियम द्वारा विहित किये जायं।

18—परिषद्, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि विनियम बनाने की शक्ति के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य किसी शक्ति का प्रयोग, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या ऐसी समिति या अधिकारी द्वारा भी ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें निर्दिष्ट की जाय, किया जा सकता है।

19—केन्द्र अधीक्षक और अन्तरीक्षक भारतीय दण्ड संहिता की घारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

20—(1) परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ विनियम बना सकती है।

केन्द्र अधीक्षक और अन्तरीक्षक लोक सेवक होंगे

प्रत्यायोजन की

शक्ति

- परिषद् का विनियम बनाने की शक्ति
- . (2) विशेषतया पूर्वीक्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिषद् निम्निलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था करने के लिए विनियम बना सकती है, अर्थात्:—
 - (क) समितियों और उप समितियों का गठन उनकी शक्ति और कर्तव्य,
 - (ख) उपाधियों, डिप्लोमाओं तथा प्रमाणपत्रों का प्रदान किया जाना,
 - (ग) संस्थाओं को मान्यता प्रदान किये जाने की शर्तें,
 - (घ) समस्त उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के निर्धारित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम,
 - (ङ) वे शर्ते जिनके अधीन अभ्यर्थी परिषद् की परीक्षाओं और अनुसंधान कार्यक्रम में प्रविष्टि किये जायेंगे और उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के पाने के पात्र होंगे.
 - (च) परिषद् की परीक्षाओं में प्रवेश एवं प्रमाणपत्रों के लिए शुल्क,
 - (छ) परीक्षाओं का संचालन,
 - (ज) परिषद् की परीक्षाओं के सम्बन्ध में परीक्षकों, परिष्कारकों, तुलनाकारों, परिनिरीक्षकों, सारिणीकारों, केन्द्र निरीक्षकों, केन्द्र के अधीक्षकों और अन्तरीक्षकों की नियुक्ति और उनकी शक्ति और कर्तव्य और उनके पारिश्रमिक की दरें,
 - (झ) मान्यता के विशेषाधिकारों के लिए संस्थाओं का प्रविष्ट किया जाना और मान्यता का वापस लिया जाना,
 - (স) ऐसे समस्त विषय जिनकी विनियमों द्वारा व्यवस्था की जानी हो या की जा सके।

परिषद् द्वारा बनाये गये विनियमों का प्रकाशन और पूर्व अनुमोदन

- 21—(1) धारा 20 के अधीन समस्त विनियम केवल राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से बनाये जायेंगे और गजट में प्रकाशित किये जायेंगे।
- (2) राज्य सरकार परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी ऐसे विनियम को उपान्तरण सहित या रहित अनुमोदित कर सकती है।

प्रशासन की योजना

- 22—(1) किसी विधि, दस्तावेज या किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश या अन्य लिखत में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रत्येक संस्था के लिए एक प्रशासन की योजना होगी, चाहे उस संस्था को इस अधिनियम के प्रारम्भ के पहले मान्यता प्रदान की गई हो या उसके बाद में। प्रशासन की योजना द्वारा अन्य विषयों के साथ-साथ एक प्रबन्ध समिति के संघटन की व्यवस्था की जायेगी जिसमें संस्था के मामलों के प्रबन्ध और संचालन का प्राधिकार निहित होगा। संस्था के प्रधान और मुस्लिम अल्पसंख्यक के दो अध्यापक, जो ज्येष्ठता के अनुसार वारी-बारी से विनियम द्वारा विहित रीति से चयनित किये जायेंगे, प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे जिन्हें मत देने का अधिकार होगा।
- (2) जब कभी प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य के वैयक्तिक आचरण से सम्बन्धित किसी आरोप पर विचार किया जा रहा हो, वह सदस्य न तो समिति की बैठक में भाग लेगा और न ही अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा।
- (3) किसी विनियम के अधीन रहते हुए, प्रशासन की योजना में संस्था के प्रधान और संस्था के सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति की अलग-अलग शक्ति, कर्तव्य और कृत्यों का भी उल्लेख किया जायेगा।
- (4) किसी निकाय या प्राधिकारी द्वारा एक से अधिक मान्यता प्राप्त संस्थाओं का अनुरक्षण किये जाने की दशा में प्रत्येक संस्था के लिए उस समय तक अलग-अलग प्रबन्ध समिति होगी जब तक कि विनियम में संस्थाओं के किसी वर्ग के लिए अन्यथा व्यवस्था न की गई हो।
- (5) प्रत्येक संस्था की प्रशासन की योजना परिषद् के अनुमोदन के अधीन होगी और प्रशासन की योजना में किसी भी समय कोई संशोधन या परिवर्तन परिषद् के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी संस्था का प्रबन्धन प्रशासन की योजना में कोई संशोधन या परिवर्तन का अनुमोदन न करने के परिषद के आदेश से व्यथित हो वहां राज्य सरकार प्रबन्धन के अभ्यावेदन पर यदि उसका यह समाधान हो जाये कि प्रशासन की योजना में प्रस्तावित संशोधन या परिवर्तन संस्था के हित में है तो वह परिषद को उसका अनुमोदन करने का आदेश दे सकती है और तदुपरान्त परिषद तद्नुसार कार्यवाही करेगी।

- (6) प्रत्येक संस्था का प्रशासन और प्रबन्ध उपधारा (1) से उपधारा (5) के अधीन और उनके अनुसार बनायी गयी प्रशासन की योजना के अनुसार किया जायेगा।
- (7) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी मान्यता प्राप्त संस्था के मामले में, प्रशासन की योजना का एक प्रारूप तैयार किया जाएगा और उसे, मान्यता के लिये आवेदन पत्र के साथ ऐसे प्रारम्भ से छः मास के भीतर परिषद् को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।
- (8) यदि कोई संस्था उप धारा (7) के उपबन्धों का, उसके लिए उपबन्धित अविध के भीतर अनुपालन करने में विफल रहती है तो परिषद् ऐसी संस्था से, लिखित नोटिस द्वारा, तीन मास की अग्रतर अविध के भीतर प्रशासन की योजना को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति के पूर्व संस्था द्वारा किसी अभ्यावेदन पर परिषद् अपने विवेक से तीन मास की अवधि किन्तु उससे अधिक नहीं, के लिये अग्रतर विस्तार की अनुज्ञा दे सकती है और संस्था की प्रबंध समिति ऐसी अग्रतर बढ़ाई गई अवधि में इस धारा के उपबन्धों का अनुपालन करेगी।

23—इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए किसी संस्था के प्रधान, अध्यापक और अन्य कर्मचारी विनियम के अनुसार नियुक्त किये जायेंगे।

अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया संस्था के प्रधान, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों

की सेवा शर्ते

संस्था के प्रधान,

- 24—(1) किसी संस्था के प्रधान अध्यापक और अन्य कर्मचारी ऐसी सेवा की शर्तों द्वारा शासित होंगे जैसी विनियम द्वारा विहित की जायं और प्रबन्ध समिति और यथा स्थिति ऐसी संस्था के प्रधान, अध्यापक या कर्मचारियों के बीच किया गया कोई करार, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से या विनियम से असंगत हो शून्य होगा।
- (2) उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विनियम में निम्नलिखित के लिये व्यवस्था की जा सकती है :-
 - (क) आचार संहिता, परिवीक्षा की अवधि, स्थायीकरण की शर्ते और पदोन्नित तथा दण्ड देने की प्रक्रिया और शर्ते, जिसके अन्तर्गत जांच का निलम्बन, लम्ब या .अपूर्णता नैतिक अधमता से अन्तर्गस्त किसी अपराध के लिये किसी दाण्डिक मामले में अन्वेषण, जांच या विचारण किये जाने तक निलम्बन सम्मिलित है तथा निलम्बन की अवधि के लिए भत्ते और नोटिस देकर सेवा का समाप्त किया जाना सम्मिलित है.
 - (ख) वेतनमान और वेतनों का भुगतान,
 - (ग) छुट्टी प्रदान करना और भविष्य निधि और अन्य लाभ, और
 - (घ) कार्य और सेवा के अभिलेख का रखा जाना।

25—परिषद् के या परिषद् द्वारा नियुक्त किसी समिति के पदेन सदस्यों से, भिन्न अन्य सदस्यों में से होने वाली आकिस्मक समस्त रिक्तियां यथाशाक्य शीघ्र उस व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जायेंगी जिसने उस सदस्य को निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट किया हो जिसका स्थान रिक्त हुआ हो और किसी आकिस्मक रिक्ति के लिए निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट किया गया कोई व्यक्ति, परिषद् या समिति का उस शेष अविध के लिए सदस्य रहेगा जिसके लिए वह व्यक्ति सदस्य रहता जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति हुई हो।

आकरिमक रिक्तियां

26—(1) परिषद् और उसकी समितियां इस अधिनियम, नियमों और विनियमों से संगत उपविधियां बना सकती है, जिनमें—

परिषद और समितियों का उपविधियां बनाने की शक्ति

- (क) उनकी बैठकों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति सृजित करने के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाय,
- (ख) ऐसी समस्त विषयों की व्यवस्था की जाय जिनकी उपविधियों के लिए व्यवस्था की जानी हो, या की जा सके,
- (ग) केवल परिषद् और उसकी समितियों से सम्बन्धित ऐसे समस्त विषयों की व्यवस्था की जाय जिनक़ी इस अधिनियम, नियमों और विनियमों द्वारा व्यवस्था न की गयी हो।
- (2) परिषद् और उसकी समितियां, परिषद् या समिति के सदस्यों को, परिषद् या समिति की बैठकों के दिनांक और बैठकों में विचार किये जाने वाले कार्य की सूचना देने और बैठकों की कार्यवाहियों का अभिलेख रखने की व्यवस्था करने के लिए उपविधियां बनायेंगी।
- (3) परिषद् समिति द्वारा इस धारा के अधीन बनायी गयी किसी उपविधि में संशोधन या विखण्डन का निदेश दे सकती है और समिति ऐसे निदेश को कार्यान्वित करेगी।

27—राज्य सरकार, परिषद् या उसकी किसी सिमिति और उप सिमिति या परिषद् या किसी सिमिति या उपसिमिति के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में नहीं की जा सकती है जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम, विनियम, उपविधि, आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये अभिप्रेत हो।

सद्मावना से किये गये कार्यों के लिए संरक्षण न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक 28—इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में परिषद् या उसकी किसी समिति या उपसमिति द्वारा दिये गये किसी आदेश या निर्णय पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

परिषद् की निधि

- 29—(1) परिषद् की अपनी निधि होगी और परिषद् की समस्त प्राप्तियां उसमें जमा की जायेंगी और परिषद् के सभी भुगतान उसी से किये जायेंगे।
- (2) राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् को इस अधिनियम द्वारा प्रतिकूल उद्देश्यों या प्रयोजनों के लिए ऐसी धनराशि, जिसे वह उचित समझे, व्यय करने की शक्ति होगी।

लेखा और लेखा परीक्षा

- 30—(1) परिषद्, उचित लेखा और अन्य संगत अभिलेख रखेगी और ऐसे प्रपत्र में जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे वार्षिक लेखा विवरण पत्र तैयार करेगी।
- (2) परिषद् एक वार्षिक विवरण पत्र तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी।
- (3) परिषद् के लेखाओं की संपरीक्षा ऐसे प्राधिकारी द्वारा की जायेगी जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें।
- (4) लेखा परीक्षा प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणित परिषद् के लेखे और उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रतिवर्ष अग्रसारित किये जायेंगे।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

- 31—(1) यदि, इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो कर सकती है जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।
- (2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।
- (3) उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध, उपधारा (1) के अधीन किये गये आदेश पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अध्यादेश के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

नियम बनाने की शक्ति 32—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

निरसन और अपवाद 33—(1) उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् अध्यादेश. 2004 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 2004

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

उद्देश्य और कारण

शिक्षा संहिता के पैरा 55 में रिजस्ट्रार अरबी-फारसी परीक्षायें, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को प्रदेश में अरबी-फारसी मदरसों को मान्यता प्रदान करने और ऐसे मदरसों की परीक्षायें संचालित करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। इन मदरसों का प्रबन्ध शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता था। किन्तु वर्ष 1995 में अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्क विभाग के सृजित हो जाने के फलस्वरूप ऐसे मदरसों से सम्बन्धित समस्त कार्य शिक्षा विभाग से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को स्थानान्तरित कर दिया गया जिसके फलस्वरूप मदरसों से सम्बन्धित समस्त कार्यों का सम्पादन निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश और रिजस्ट्रार/निरीक्षक, अरबी फारसी मदरसा, उत्तर प्रदेश के नियंत्रण में किया जा रहा है। अरबी फारसी मदरसों का प्रशासन अरबी फारसी मदरसा नियमवली, 1937 के अधीन चलाया जा रहा था किन्तु चूंकि उक्त नियमावली किसी अधिनियम के अधीन नहीं बनाई है, अतएव उक्त नियमावली के अधीन मदरसों के संचालन में अनेक जटिलतायें उत्पन्न हो गई। अतएव, मदरसों के संचालन में उत्पन्न कठिनाईयों को दूर करने, उनमें गुणात्मक सुधार लाने, मदरसों में अध्ययनरत छात्रों को अध्ययन की अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया कि एक विधि बनाकर राज्य में मदरसा शिक्षा परिषद की स्थापना और उससे सम्बन्धित या अनुषंगिक विषयों की व्यवस्था की जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 3 सितम्बर, 2004 को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् अध्यादेश, 2004 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 2004) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से, धर्मवीर शर्मा, प्रमुख सचिव।

No. 1571/VII-V-1-1(Ka)33-2004 Dated: Lucknow, December 6, 2004

In persuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Madarsa Shiksha Parishad Adhiniyam, 2004 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 29 of 2004) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 3, 2004:—

THE UTTAR PRADESH BOARD OF MADARSA EDUCATION ACT, 2004 (U.P. ACT no. 29 of 2004)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislative Assembly)

AN

ACT

to provide for the establishment of a Board of Madarsa Education in the State and for the matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fifth Year of the Republic of India as follows:-

- 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Board of Madarsa Education Short title and commencement Act, 2004.
 - (2) It shall be deemed to have come into force on September 3, 2004.

Definitions

- 2. In this Act unless the context otherwise requires:-
- (a) "Board" means the Uttar Pradesh Board of Madarsa Education established under section 3;
- (b) "centre" means an institution or a place fixed by the Board for the purpose of holding its examinations and includes the entire premises attached thereto;
 - (c) "Director" means the Director, Minority Welfare, Uttar Pradesh;
- (d) "head of institution," in relation to an institution, means the Principal or the Head Master, as the case may be, of that institution;
- (e) "Inspector" means the inspector, Arabic Madarsas, Uttar Pradesh and includes an officer authorised by the State Government to perform all or any of the functions of the inspector under this Act;
- (f) "institution" means the Government Oriental College, Rampur and includes a Madarsa or an Oriental College established and administered by Muslim-Minorites and recognised by the Board for imparting Madarsa-Education;
- (g) "Legislator" means a member of either house of the State Legislature;
- (h) "Madarsa-Education" means education in Arbic, Urdu, Parsian, Islamic-studies, Tibb Logic, Philosophy and includes such other branches of learning as may be specified by the Board from time to time;
- (i) "invigilator" means a person who assists the Superintendent of a centre in conducting and supervising the examinations at a Centre;
- (j) "recognition" means recognition for the purpose of preparing candidates for admission to the Board's Examination;
- (k) "Deputy Director" means the Deputy Director, Minority Welfare, Uttar Pradesh charged with the work of Madarsa-Education;
 - (1) "regulations" means regulations made under this Act;
 - (m) "Registrar" means the Registrar of the Board;
- (n) "Superintendent of a Centre" means a person appointed by the Board to conduct and supervise an examination of the Board and includes an Additional Superintendent;
- (o) "unfair-means" in relation to an examinee while answering questions in an examination, means the unauthorised help form any person directly or indirectly or from any material written, recorded, copied or printed in any form whatsoever, or the use of any unauthorised telephonic, wireless or electronic or other instrument or gadget.

Constitution of the Board

- 3. (1) With effect from such date as the State Government may, by notification, appoint, there shall be established at Lucknow a Board to be known as the Uttar Pradesh Board of Madarsa-Education.
 - (2) The Board shall be a body corporate.

- (3) The Board shall consist of the following members, namely:-
- (a) a renowned Muslim educationsist in the field of traditional Madarsa-Education, nominated by the State Government who shall be the Chairperson of the Board;
 - (b) the Director, who shall be the Vice-Chairperson of the Board:
 - (c) the Principal, Government Oriental College, Rampur;
- (d) one Sunni-Muslim Legislator to be elected by both houses of the State Legislature;
- (e) one Shia-Muslim Legislator to be elected by both houses of the State Legislature;
- (f) one representative of National Council for Educational Research and Training;
- (g) two head of institution established and administered by Sunni-Muslim nominated by the State Government;
- (h) one head of institution established and administered by Shia-Muslim nominated by the State Government;
- (i) two teachers of institutions established and administered by Sunni-Muslim nominated by the State Government;
- (j) one teacher of an institution established and administered by Shia-Muslim nominated by the State Government;
- (k) one Science or Tibb teacher of an institution nominated by the State Government;
- (1) the Account and Finance Officer in the Directorate of minority Welfare, Uttar Pradesh;
 - (m) the Inspector;

on

he

ed

ne

sh

- (n) an officer not below the rank of Deputy Director nominated by the State Government, who shall be the member Registrar.
- (4) As soon as may be after the election and nomination of the members of the Board are completed, the State Government shall notify that the Board has been duly constituted:

Provided that a notification under this sub-section may be issued even before the election of the member specified in clause (d) or clause (e) of sub-section (3) has been completed.

- (5) (a) Where there is only one Shia member or only one Sunni member in the State Legislators then each will be nominated by the State Government.
- (b) If no Shia member in the State Legislature is available then two Sunni-Muslim Legislators shall be elected as member of the Board and in the nomination paper of one of such Legislator it shall be mentioned before election that he shall cease to hold the office of the member of the Board on the date a Shia-Muslim Legislators takes oath as the member of the Board. Similarly in the case of non availability of Sunni-Muslim Legislator two Shia-Muslim Legislators shall be elected as the member of the Board and in the nomination paper of one of such Shia Legislators it shall be mentioned before election that he shall cease to hold office of the member of the Board on the date of taking oath of the office of the member of the Board by a Sunni-Muslim Legislator.

- (6) On and from the date of the establishment of the Board under sub-section (1), the Arbi and Farsi Education Board functioning immediately before such establishment, hereinafter referred to as the earstwhile Board, shall stand dissolved and upon such dissolution,—
 - (a) all the properties and assets of the earstwhile Board shall stand transferred to, and vest in the Board;
 - (b) all debts, liabilites and obligations of the exsting Board, whether contractual or otherwise, shall stand transferred to the Board;
 - (c) all the officer and employees of the earstwhile Board shall become the officers and employees of the Board on the same terms and conditions and with the same rights and privileges as to retirement benefits and other matters as would have been applicable to them immediately before such dissolution till their employment under the Board is duly terminated or until their remuneration and other conditions of service are duly altered not to their disadvantage:

Provided that an officer or employee of the earstwhile Board may by notice addressed to the Board served within a period of thirty days from such dissolution, intimate his option not to become an officer or employee of the Board and upon receipt of such notice, the post held until then by him shall stand abolished and his services shall stand terminated and he shall be paid an amount equivalent to his three months salary as compensation.

Removal of members

4. The State Government may remove from the Board a member other than an ex-officio member, who in its opinion, has so flagrantly abused his position as such member as to render his continuance on the Board detrimental to the public interest:

Provided that the State Government shall, before removing a member as aforesaid, give him an opportunity of fifteen days for submitting explanation and shall place on record reasons for his removal.

Term of office of members 5. (1) A member, other than ex-officio member, shall hold office for a term of three years from the date of the notification under sub-section (4) of section 3:

Provided that in the case of clause (b) of sub-section (5) of section 3 this sub-section shall not apply and the term shall be determined in accordance with the provisions of the said clause:

Provided further that the State Government may, by notification, extend the term of any such member for a period not exceeding six months at a time in the manner that the total extended period should not exceed one year.

- (2) A member of the Board shall cease to be such member upon his ceasing to have the capacity in which he was elected or nominated, and his seat shall thereupon become vacant.
- Filling of vacancies on expiry of term of office

Meeting of the Board

- 6. The State Government shall take steps for the reconstitution of the Board before the expiry of the term of office of members under section 5.
- 7. (1) The Board shall meet at such time and place and shall subject to the provisions of sub-sections (2) and (3) observe such procedure in transacting the business at its meeting, including the quorum thereat, as may be provided by bye-laws made in this behalf.

- (2) The Chairperson shall preside at the meeting of the Board. In his absence, the Vice-Chairperson of the Board shall preside at the meeting. When Chairperson/Vice-Chairperson both were absent then the Chairperson shall be a senior member elected under clause (d) or clause (e) shall provide at the meeting.
- (3) All questions arising in a meeting of the Board shall be decided by majority of votes of the members present and voting and in case of equality of votes, the person presiding at such meeting shall have a second or casting vote.
- 8. No act or proceeding of the Board or of a committee appointed by it, shall be invalid on the ground merely the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Board or the Committee.

Vacancies etc. not to invalidate acts and proceedings

9. Subject to the other provisions of this Act the Board shall have the following functions, namely:—

Functions of the

- (a) to prescribe course of instructions, text-books, other books and instructional meterial, if any, for Tahtania, Fauquania, munshi, Maulavi, Alim, Kamil, Fazil and other courses;
- (b) prescribe the course books, other books and instruction material of courses of Arbi, Urdu and Pharsi for classes upto High School and Intermediate standard in accordance with the course determined there for by the Board of High School and Intermediate Education;
- (c) to prepare manuscript of the course books, other books and instruction material referred to in clause (b) by excluding the matters therein wholly or partially or otherwise and to publish them;
- (d) prescribe standard for the appointment of Urdu translators in the various offices of the State and ensure through the appointing authority necessary action with respect to filling up of the vacant posts;
- (e) to grant Degrees, Diplomas, Certificates or other academic distinctions to persons, who-
 - (i) have pursued a course of study in an institution admitted to the privileges or recognition by the Board;
 - (ii) have studied privately under conditions laid down in the regulations and have passed an examination of the Board under like conditions;
- (f) to conduct examinations of the Munshi, Maulavi, Alim and of Kamil and Fazil courses;
 - (g) to recognise institutions for the purposes of its examination;
 - (h) to admit candidates to its examination;
- (i) to demand and receive such fee as may be prescribed in the regulations;
- (j) to publish or withhold publication of the result of its examinations wholly or in part;
- (k) to co-operate with other authorities in such manner and for such purposes as the Board may determine;

- (1) to call for reports from the Director on the condition of recognised institutions or of institutions applying for recognition;
- (m) to submit to the State Government its views on any matter with which it is concerned;
- (n) to see the schedules of new demands proposed to be included in the budget relating to institutions recognised by it and to submit if it thinks fit, its views theron for the consideration of the State Government;
- (o) to do all such other acts and things as may be requisite in order to further the objects of the Board as a body constituted for regulating and supervising Madarsa-Education up to Fazil;
- (p) to provide for research or training in any branch of Madarsa-Education viz, Darul Uloom Nav Uloom, Lucknow, Madarsa Babul Ilm, Mubarakpur, Azamgarh, Darul Uloom Devband, Saharanpur, Oriental College Rampur and any other institution which the State Government may notify time to time.
- (q) to constitute a committee at district level consisting of not less than three members for education up to Tahtania or Faukania standard, to delegate such committee the power of giving recognition to the educational institutions under its control.
- (r) to take all such steps as may be necessary or convenient for or as may be incidental to the exercise of any power, or the performance or discharge of any function or duty, conferred or imposed on it by this Act.
- 10. (1) The Board shall subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, shall have all such powers as may be necessary for the performance of its functions and the discharge of its duties under this Act, or the rules or regulations made thereunder.
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, the Board shall have the powers,-
- (i) to cancel an examination or withhold the result of an examination of a candidate, or to disallow him from appearing at any future examination who is found by it to be guilty of,—
 - (a) using unfair means in the examination; or
 - (b) making any incorrect statement or suppressing material information or fact in the application form for admission to the examination; or
 - (c) fraud or impersonation at the examination; or
 - (d) securing admission to the examination in contravention of the rules governing admission to such examination; or
 - (e) any act of gross indiscipline in the course of the examination;
- (ii) to cancel the result of an examination of any candidate for all or any of the acts mentioned in sub-clauses (a) to (d) of clause (i) or for any bonafide error of the Board in the declaration of the result;
- (iii) to prescribe fees for the examinations conducted by it and provide for the mode of its realisation:

Powers of the Board (iv) to refuse recognition of an institution,-

- (a) which does not fulfil, or is not in a position to fulfil, or does not come up to, the standards for staff, instructions, equipment or buildings laid down by the Board in this behalf; or
- (b) which does not, or is not, willing to abide by the conditions of recognition laid down by the Board in this behalf;
- (v) to withdraw recognition of an institution not able to adhere to, or make provisions for, standards of staff, instructions, equipment or buildings laid down by the Board or on its failure to observe the conditions of recognition to the satisfaction of the Board;
- (vi) to call for reports from the head of institution in respect of any act of contravention of the rules or regulations of decisions, instructions or directions of the Board and take suitable actions for the enforcement of the rules or regulations decisions, instructions or directions of the Board, in such manner as may be prescribed by regulations;
- (vii) to inspect an institution for the purpose of ensuring due observance of the prescribed courses of study and that the facilities for instructions are duly provided and availed of; and
- (viii) to fix the maximum number of students that may be admitted to a course of study in an institution.
- (3) The decision of the Board in all matters mentioned in sub-sections (1) and . (2) shall be final.
- 11. Notwithstanding anything contained in sub-clause (a) clause (iv) of sub-section (2) of section 10, the Board may, with the prior approval of the State Government, recognise and institution in any new subject or group of subjects for a higher class.

Récognition of an institution in any new subject or for a higher class

12. Where a contribution or donation, either in cash or in kind, is taken or received by an institution, the contribution or donation so received shall be utilized only for the purpose for which it was given to it and in the case of an institution maintained exclusively by the State Government, the cash contribution or donation shall be credited to personal ledger account of such institution which shall be operated in accordance with general or special orders of the State Government.

Proper utilization of donation

13. (1) The State Government shall have the right to address the Board with reference to any work conducted or done by the Board and to communicate to the Board its views on any matter with which the Board is concerned.

Power of the State Government

- (2) The Board shall report to the State Government such action, if any, as it is proposed to be or has been taken upon its communication.
- .(3) If the Board does not, within a reasonable time take action to the satisfaction of the State Government, the State Government may after considering any explanation furnished or representation made by the Board, issue such directions consistent with this Act, as it may think fit, and the Board shall comply with such direction.

- (4) Whenever, in the opinion of the State Government, it is necessary or expedient to take immediate action, it may, without making any reference to the Board under the foregoing provisions, pass such order or take such other action consistent with this Act as it deems necessary and in particular, may by such order, modify or rescind or make any regulation in respect of any matter and shall forthwith inform the Board accordingly.
- (5) Any action taken by the State Government under sub-section (4) shall not be called in question in any court.

Officer and other employees of the Board 14. For the purpose of enabling it efficiently to discharge it's functions under this Act, the Board may appoint such number of officers and other employees, with the previous approval of the State Geovernment as it may think fit.

Powers and duties of the Chairperson of the Board

- 15. (1) It shall be the duty of the Chairperson of the Board to ensure the observance of this Act and the regulations, faithfully and he shall have all the powers necessary for this purpose.
- (2) The Chairperson of the Board shall exercise such other powers as may be prescribed by the regulations.

Powers and duties of the Registrar

- 16. (1) The Registrar of the Board shall be the Chief Executive Officer of the Board and shall, subject to the superintendence, control and directions of the Board, be responsible for the execution of its decisions. He shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed by regulations, and in particulars:—
 - (a) be responsible to prepare and present the annual estimates and statement of accounts;
 - (b) be responsible to ensure that all moneys are spent for the purpose for which they are granted or allotted;
 - (c) be responsible for keeping the minutes of the meeting of the Board;
 - (d) shall exercise such powers as are necessary for the conduct of the examinations; and
 - (e) shall exercise such other powers as may be prescribed by the regulations.

Appointment and constitution of committee and sub-committees

- 17. (1) The Board shall appoint the following committees, namely:—
 - (a) Curriculum Committee;
 - (b) Examination Committee;
 - (c) Result Committees;
 - (d) Recognition Committee; and
 - (e) Finance Committee.
- (2) Such a committee shall consist of the members of the Board only and shall be constituted in such a way that as for as possible atleast one member from each of the following classes are represented in each of the committees:—
 - (a) head of institutions:
 - (b) teachers of institutions;
 - (c) Academicians:

Provided that no member of the Board shall serve on more than one of such committees, and the term of members of the committee shall cease with the cessation of the membership of the Board.

(3) In addition to the committees mentioned in sub-section (1) the Board may appoint such other committees or sub-committees as may be prescribed by regulations.

- (4) The committees and sub-committees appointed under sub-section (3) shall be constituted in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed by regulations.
- 18. The Board may, by general or special order, direct that any power exercisable by it under this Act except the power to make regulations may also be exercised by its Chairperson or Vice-Chairpersons or by such Committee or officer in such cases and subject to conditions, as may be specified therein.

Power to delegate

19. The Superintendent of a Centre and an invigilator shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

Superintendent of Centre and invigilator to be public servant

20. (1) The Board may make regulations for carrying out the purposes of this Act.

Power of the Board to make regulations

- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, the Board may make regulations providing for all or any of the following matters, namely:—
 - (a) constitution, power and duties of committees and sub-committees;
 - (b) the conferment of Degrees, Diplomas and Certificates;
 - (c) the conditions of recognition of institutions;
 - (d) the courses of study to be laid down for all Degrees, Diplomas and Certificates;
 - (e) the conditions under which candidates shall be admitted to the examinations and research programme of the Board and shall be eligible for Degrees, Diplomas and Certificates;
 - (f) the fees for admission to the examination of the Board;
 - (g) the conduct of examination;
 - (h) the appointment of examiners, moderators, collators, scrutinisers, tabulators, Centre inspectors, Superintendents of Centres and invigilators and their duties and powers in relation to the Board's examinations and the rates of their remuneration;
 - (i) the admission of institutions to the privilege of recognition and the withdrawal of recognition;
 - (j) all matters which are to be, or may, provided for by regulations.
- 21. (1) All regulations under section 21 shall be made only with the previous approval of the State Government and shall be published in the *Gazette*.

Publication and previous approval of regulations made by the Board

- (2) The State Government may approve any such regulations proposed by the Board with or without modification.
- 22. (1) Notwithstanding anything contained in any law, document or decree or order of a court or other instrument, there shall be a Scheme of Administration for every institution, whether recognised before or after the commencement of this Act. The Scheme of Administration shall amongst other matters provide for the constitution of a Committee of Management vested with authority to manage and conduct the affairs of the institution. The Head of the institution and two teachers thereof, belonging to Muslim-Minority, who shall be selected by rotation according to seniority in the manner prescribed by regulations, shall be ex-officio members of the Committee of Management with a right to vote.

Scheme of Administration

- (2) No member of the Committee of the Management shall either attend the meeting of the Committee or exercise his right to vote whenever a charge concerning his personal conduct is under discussion.
- (3) The Scheme of Administration shall also describe subject to any regulation, the respective powers, duties and functions of the Head of the institution and Committee of Management in relation to the institution.
- (4) Where more than one recognised institutions are maintained by a body or authority, there shall be a separate Committee of Management for each institution unless otherwise provided in the regulations for any class of institutions.
- (5) The Scheme of Administration of every institution shall be subject to the approval of the Board and no amendment to, or change in, the Scheme of Administration shall be made at any time without the prior approval of the Board:

Provided that where the Management of an institution is aggrieved by an order of the Board refusing to approve an amendment or change in the Scheme of Administration, the State Government, on the representation of the Management, may, if it is satisfied that the proposed amendment or change in the Scheme of Administration is in the interest of the institution, order the Board to approve the same and thereupon the Board shall act accordingly.

- (6) Every institution shall be administered or managed in accordance with the Scheme of Administration framed under and in accordance with the sub-section (1) to sub-section (5).
- (7) In the case of an institution recognised before the commencement of this Act a draft of the Scheme of Administration shall be prepared and submitted to the Board for its approval within six months from such commencement alongwith the application for recognition.
- (8) If an institution fails to comply with the provision of sub-section (7) within the period provided therefor, the Board shall, by notice in writing, require such institution to submit the Scheme of Administration within a further period of three months:

Provided that on a representation by the institution prior to the expiry of the extended period, the Board may in its discretion allow a further extension for a period of three months but not beyond that and the Committee of Management of the institution shall comply with the provisions of this section in such further extended period.

- 23. Subject to the other provisions of this Act, the head of institution, teachers and other employees of an institution shall be appointed in accordance with the regulations.
- 24. (1) The head of institution, teachers and other employees of an institution shall be governed by such conditions of service as may be prescribed by regulations and any agreement between the Committee of Management and such head of institution, teachers or employees, as the case may be, in so for as it is inconsistent, with the provisions of this Act or the regulations, shall be void.
- (2) Without prejudice to the generality of the powers conferred by sub-section (1) the regulations may provide for,—
 - (a) the code of conduct, the period of probation, the conditions of confirmation and the procedure and conditions for promotion and punishment including suspension pending or in contemplation of inquiry or during the pendency of investigation, inquiry or trial in any criminal case for an offence involving moral turpitude and the allowances for the period of suspension and termination of service with notice;

Procedure for appointment of head of institutions, teachers and other employees

Conditions of service of head of institution, teachers and other employees

- (b) the scales of pay and payment of salaries;
- (c) grant of leave and provident fund and toher benefits; and
- (d) maintenance of record of work and service.
- 25. All casual vacancies among the Members other than ex-officio members of the Board or of a Committee appointed by the Board, shall be filled, as soon as may be, by the person or body who elected, or nominated, the member whose place has become vacant and the person elected or nominated to a casual vacancy shall be a member of the Board or Committee for the remaining term for which the person whose place he fills would have been a Member.

Casual vacancies

26. (1) The Board and its Committees may make bye-laws consistent with this Act, the rules and the regulations,—

Power of the Board and Committees to make bye-laws

- (a) laying down the procedure to be observed at their meetings and the number of members required to form a quorum;
- (b) providing for all matters which are to be, or may be, provided for by bye-laws;
- (c) providing for all matters solely concerning the Board and its Committees and not provided for by this Act, the rules and the regulations.
- (2) The Board and its Committees shall make bye-laws providing for the giving of notice, to the member of the Board or Committee, of the dates of meeting of the Board or Committee, and of the business to be considered at meetings, and for the keeping of a record of the proceedings of meetings.
- (3) The Board may direct amendment or recession of any bye-law made by a Committee under this section and the Committee shall give effect to any such direction.
- 27. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government, the Board or any its Committees and sub-Committee or any other person in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule, regulation, bye-law, order or direction made thereunder.

Protection for acts done in good faith

28. No order or decision made by the Board or any of its committees or subcommittees in exercise of the powers conferred by or under this Act shall be called in question in any court.

Bar of Jurisdiction of Courts

29. (1) The Board shall have its own fund, and all receipts of the Board shall be credited thereto and all payments for the Board shall be made therefrom.

Fund of the Board

- (2) Subject to any general or special order of the State Government, and subject to the provisions of this Act, the Board shall have the power to spend such sum as it may think fit on subjects or for purposes authorised by this Act.
- 30. (1) The Board shall maintain proper accounts and other relevant a cords and prepare an annual statement of accounts in such form as the State Government may, by general or special order, specify.

Account and audit

- (2) The Board shall prepare an annual financial statement and submit it to the State Government for its approval.
- (3) The accounts of the Board shall be audited by such authority as the State Government may, by general or special order, specify.
- (4) The accounts of the Board as certified by the audit anthority together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the State Government.
- 31. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by a notified order, make such provisions, not inconsistent with provisions of this Act, as appears to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty.

Power to remove difficulties

- (2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiry of the period of two years from the date of the commencement of this Act.
- (3) The provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply to the order made under sub-section (1) as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

Power to make

32. The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Repeal and saving

33. The Uttar Pradesh Madarsa Education Ordinance, 2004 is hereby repealed.

U.P. Ordinance no. 12 of 2004

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In para 55 of the Education Code the Registrar, Arabi-Pharasi Examinations, Uttar Pradesh, Allahabad had been authorised to recognise the Arabi-Pharasi Madarsas in the State and for conducting the examinations of such Madarsas. These Madarsas were managed by the Education Department. But with the creation of the Minority Welfare and Wakfs Department in 1995 all the works relating to such Madarsas were transferred from Education Department to the Minority Welfare Departments by virtue of which all the works relating to Madarsas are being performed under the control of the Director, Minority Welfare, Uttar Pradesh and the Registrar/Inspector Arabi-Pharasi Madarsas, Uttar Pradesh. The Arabi-Pharasi Madarsas were being administered under the Arabi-Pharasi Madarsas Rules, 1987 but since the said rules have not been made under an Act, many complication arose in running the Madarsas under the said rules. Therefore with a view to removing the difficulties arisen in running the Madarsas, improving the merit therein and making available the best facility of study to the students studying in Madarsas it was decided to make a law to provide for the establishment of a Board of Madarsa Education in the state and for the matters connected therewith or incidental thereto.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implements the aforesaid decision the Uttar Pradesh Board of Madarsa Education Ordinance, 2004 (U.P. Ordinance no. 12 of 2004) was promulgated by the Governor on September 3, 2004.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
D.V. SHARMA,
Pramukh Sachiv,

पी०एस०यू०पी० ए०पी० ७२९ राजपत्र (हि०)—2004—(1792)—597—(कम्प्यूटर/आफसेट)। पी०एस०यू०पी० ए०पी० २०४ सा० विधायीका—2004—(1793)—850—(कम्प्यूटर/आफसेट)।



रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890 लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०-41 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग-1, खण्ड (क) (उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 13 अगस्त, 2004 श्रावण 22, 1926 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1231/सात-वि-1–1(क)26-2004 लखनऊ, 13 अगस्त, 2004

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2004 पर दिनांक 12 अगस्त, 2004 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2004 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2004)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ] उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—
1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा संक्षिप्त नाम जाएंगा। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1994 की धारा 4 का संशोधन 2—उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 की धारा 4 में, उपधारा (1) में,—

- (क) खण्ड (क) में शब्द ''एक वर्ष'' के स्थान पर शब्द ''तीन वर्ष '' रख दिये जायेगें;
- (ख) खण्ड (घ) में शब्द और अंक ''उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2001'' के स्थान पर शब्द और अंक ''उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2004'' रख दिये जायेगें।
 - (ग) खण्ड (ङ) निकाल दिया जायगा।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 की धारा-4 में यह व्यवस्था है कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपने पद धारण करने के दिनांक से एक वर्ष की अविध के लिए पद धारण करेगा। अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य की उक्त अविध, अधिकाधिक प्रतिष्ठा, योग्यता और सत्यिनिष्ठा वाले व्यक्तियों की सेवाओं से आयोग को लाभान्वित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि आयोग के अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य की अविध एक वर्ष से तीन वर्ष तक बढ़ाने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाए जिससे कि उक्त आयोग को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

तदनुसार उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2004 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,' धर्म वीर शर्मा, प्रमुख सचिव।

No. 1231(2)/VII-V-1-1 (Ka) 26-2004 Dated Lucknow, August 13, 2004

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Alp Sankhyak Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2004 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 20 of 2004) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 12, 2004.

THE UTTAR PRADESH COMMISSION FOR MINORITIES (AMENDMENT) ACT, 2004

(U.P. ACT NO. 20 OF 2004)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

ΑN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Commission for Minorities Act, 1994

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Commission for Minorities (Amendment) Act, 2004.

Amendment of section 4 of U.P. Act. no. 22 of 1994

- 2. In section 4 of the Uttar Pradesh Commission for Minorities Act, 1994 in sub-section (1),-
 - (a) In clause (a) for the words ''one year' the words 'three years'shall be substituted;

- (b) In clause (d) for the words and figures "Uttar Pradesh Commission for Minorities (Amendment) Act, 2001" the words and figures "Uttar Pradesh Commission for Minorities (Amendment) Act, 2004" shall be substituted.
 - (c) Clause (e) shall be omitted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 4 of the Uttar Pradesh Commission for Minorities Act, 1994. Provides that the Chairman and every Member of Uttar Pradesh Commission for Minorities shall hold office for a term of one year from the date he assumes office. The said term of the Chairman and every Member is not adequate to benefit the Commission with the services, of more and more persons of eminence, ability and integrity. It has, therefore been decided to amend the said Act to increase the term of the Chairman and every Member of the Commission from one year to three years so as to make the said Commission more effective.

The Uttar Pradesh Commission for Minorities (Amendment) Bill, 2004 is introduced accordingly.

By order, D. V. SHARMA, Pramukh Sachiv.

1.

पी०एस०यू०पी०-ए० पी० 347 राजपत्र (हि०)-(932)-2004-597 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/आफसेट)। पी०एस०यू०पी०-ए० पी० 154 सा० विद्यायी-(933)-2004-850 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/आफसेट)।